25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	भूमि
2.	परगना	:	[illegible]
3.	ग्राम	:	[illegible]
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०)	:	खसरा नं० [illegible]
5.	माप की इकाई	:	हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	[illegible] हेक्टेयर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	[illegible] रोड से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	कोई पेड़ नहीं है।
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	:	कुछ भी नहीं है।
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	[illegible]
11.	मालियत	:	[illegible]
12.	स्टाम्प	:	[illegible]

25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

चौहद्दी खसरा संख्या–758

पूरब : खसरा संख्या–759

पश्चिम : चकरोड

उत्तर : खसरा संख्या–757

दक्षिण : खसरा संख्या–762

प्रथम पक्ष की संख्या–01 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
मथुरा पुत्र श्री सीताराम, निवासी–ग्राम–अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला–लखनऊ । व्यवसाय – कृषि	:	गनेश पुत्र मिश्री लाल, निवासी–मिर्जापुर, गिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0। व्यवसाय – कृषि

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 1 -

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख मथुरा पुत्र श्री सीताराम, निवासी–ग्राम–अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला–लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् गनेश पुत्र मिश्री लाल, निवासी– मिर्जापुर, मिठारी, पोस्ट– नयगांव, जिला–फतेहपुर,

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

514368

उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

जो कि विक्रेता मालिक, कामिल व काबिज आराजी कृषि भूमि खसरा संख्या– 758 रकबा 0.516 हेक्टेअर, स्थित ग्राम–अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ, का है, जो

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

584369

कि उसे वरासतन प्राप्त हुई है, जो कि खतौनी संख्या–00215 के अनुसार राजस्व अभिलेखों में विक्रेता के नाम का अमल दरामद हो गया है, विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रेता द्वारा विक्रय कर रहा है। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है। कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व

25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नही किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अर्न्तगत विवाद का वस्तु विषय नही है, न ही कुर्क इत्यादि है।

25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 38,87,286/- (रुपया अड़तीस लाख सत्तासी

INDIA NON JUDICIAL

25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

हजार दो सौ छियासी मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को मकूजी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने

25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 12 -

एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगी। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगी एवं न ही कोई मांग कर सकेंगी। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

514377

- 13 -

स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

514378

नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता व उसके वारिसान की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे।

25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह कि क्रेता बिक्रीशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs 10000

दस हजार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

05AA 985894

उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के अति विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 193518

सरकिल रेट रू0 23,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रीत रकबा 0.516 हेक्टेअर की मालियत रू0 11,86,800/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0193519

3,88,800/– जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 193520

भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुलतानपुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लखनऊ कोषागार से जारी

23 NOV 2017

स. को. अ./कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ

LKO TRY

सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 788780

विक्रीत भूमि का विवरण

कृषि भूमि खसरा संख्या- 758 रकबा 0.516 हेक्टेअर, स्थित ग्राम-अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 758731

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

विक्रेता को रू0 38,87,286/- (रूपया अड़तिस लाख सत्तासी हजार दो सौ छियासी मात्र) द्वारा चेक संख्या–595870.

[illegible]

विक्रय पत्र

[illegible] 1,151,000.00

[illegible] 40 [illegible] 2,000

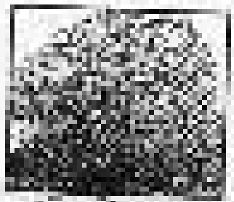

[illegible]

[illegible] दिनांक 10/12/2007 [illegible]

[illegible]

एस.एम. पाल
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
10/12/2007

[illegible]

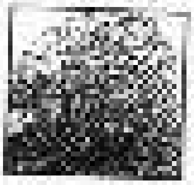

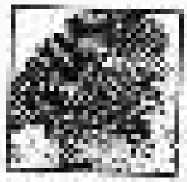

[illegible]

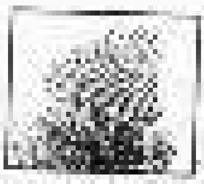

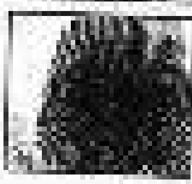

[illegible]

एस.एम. पाल
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
10/12/2007

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 788752

दिनांकित 15.10.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा -हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रु0 38,87,286/- (रुपया अड़तिस लाख सतासी हजार दो सौ छियासी मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

लखनऊ

दिनांक: 11.12.2007

गवाह

1.

2.

विक्रेता

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसौदाकर्ता

(सैय्यद अन्वर हुसैन)

एडवोकेट

[illegible]

Registration No 11255 | Year 2007 | Book No. [illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु.

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- [illegible]
[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

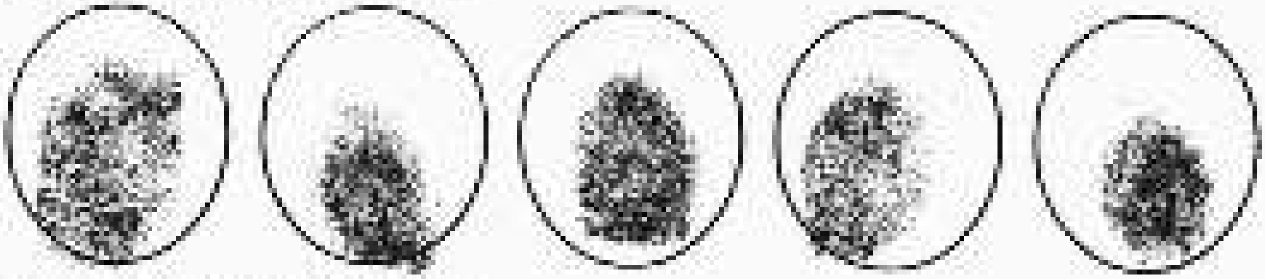

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

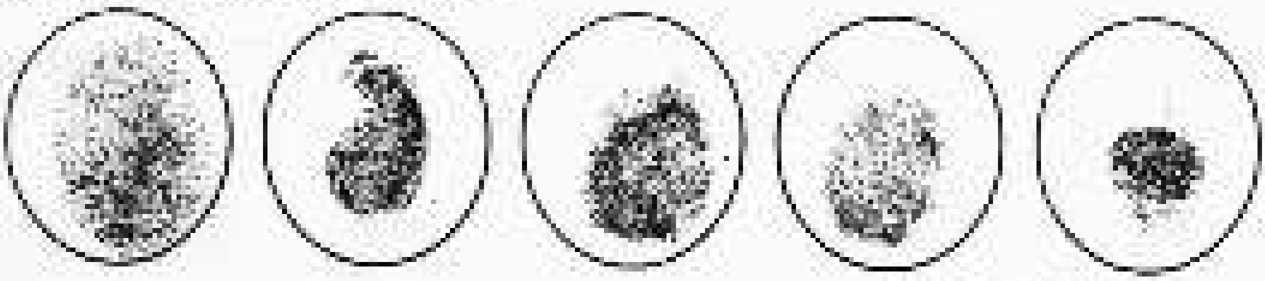

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :- [illegible]
[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

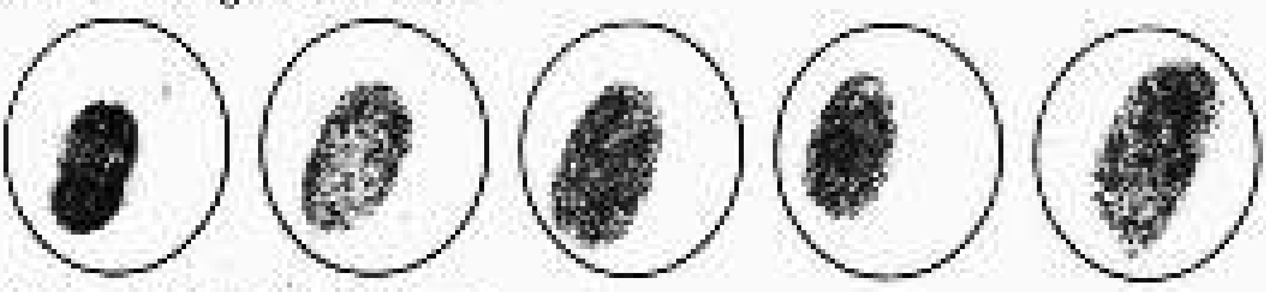

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

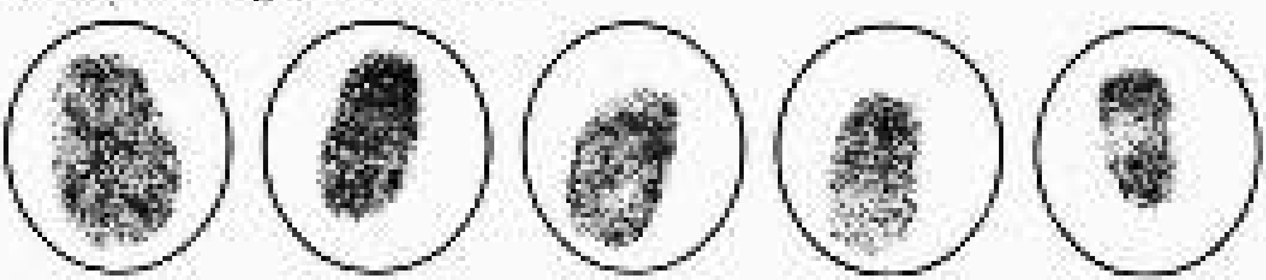

[illegible]

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

Registration No. [illegible]

Year 2007

Book No. 1

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

नक्शा नजरी

ग्राम : [illegible]

खसरा संख्या– [illegible]

विक्रेता : [illegible]

क्रेता : [illegible]

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

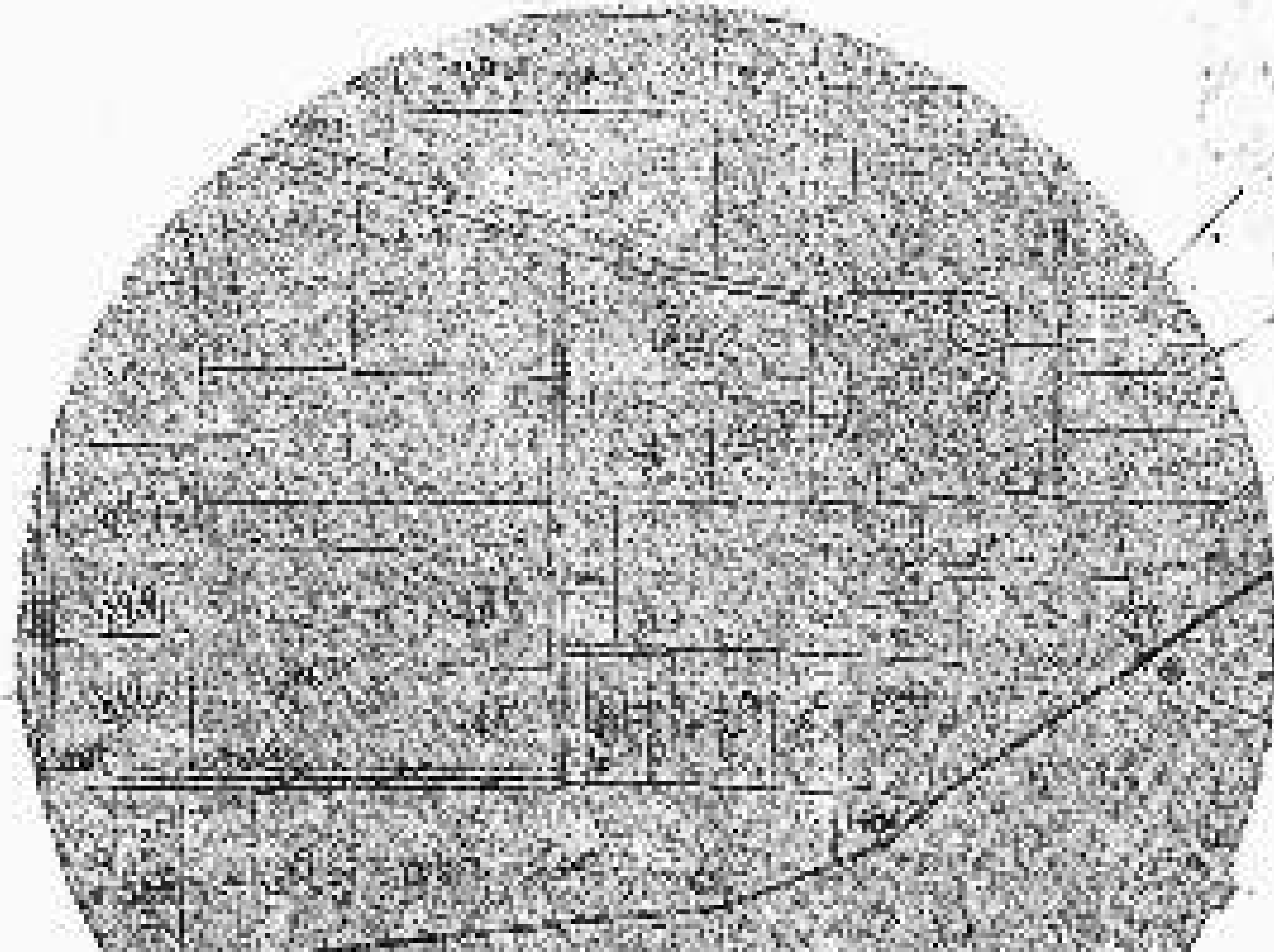

[illegible]

आज दिनांक 18/12/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 7129

पृष्ठ सं 319 से 368 पर क्रमांक 11595

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

एस.एस.लाल

उप निबंधक (द्वितीय)

लखनऊ

18/12/2007